[अनुवाद]

हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

वोट के बदले रुपये का भुगतान संबंधी समाचार-पत्र की रिपोर्ट

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, कल अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा एक समाचार पत्र में प्रकाशित उन रिपोर्टों, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा वाशिंगटन में अपने प्राधिकारियों को प्रेषित 'केबल' पर आधारित हैं, को आधार बनाकर आरोप लगाए गए थे। भारत सरकार इस प्रकार की सूचना की प्रमाणिकता, विषय-वस्तु और अस्तित्व की भी पुष्टि नहीं कर सकती। मैं यह बताना चाहूंगा कि उक्त रिपोर्टों में संदर्भित कई व्यक्तियों के द्वारा उक्त विषय-वस्तु का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है।

यह मुद्दा उठाया गया कि भारत में घूसखोरी के अपराध को अंजाम दिया गया। भारत सरकार इस आरोप का पूर्ण और सख्ती से खंडन करती है। तथापि, यदि आपको स्मरण हो, तो जुलाई 2008 में 14वीं लोक सभा में सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सभा में हुए खुले मतदान में सरकार ने 256 के मुकाबले 275 मतों से लोक सभा का विश्वास प्राप्त किया।

घूसखोरी के आरोप की जांच 14वीं लोक सभा द्वारा गठित एक समिति के द्वारा की गई थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि घूसखोरी के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

महोदया, मैं निराश हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य यह भूल गए हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। चौदहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर, आम चुनाव हुआ था। विपक्षी दलों द्वारा विश्वासमत के दौरान लगाए गए रिश्वत के आरोपों को उस आम चुनाव में दोहराया गया था। लेकिन लोगों ने इन आरोपों का क्या उत्तर दिया था? मुख्य विपक्षी दल जिसके चौदहवीं लोक सभा में 138 सदस्य थे, पन्द्रहवीं लोक सभा में घटकर मात्र 116 सदस्य रह गए थे। यह कैसे हुआ कि वाम दलों की सदस्य संख्या भी 59 से कम होकर मात्र 24 रह गयी थी। केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई थी और यह संख्या 145 से बढ़कर 206 हो गयी थी। अत:, 61 सदस्यों की बढ़ोत्तरी हुई थी।

महोदया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष उन पुराने आरोपों को अभी भी उठा रहा है जिन पर चर्चा हो चुकी है और जिन्हें भारत की जनता नकार चुकी है। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्षी दलों द्वारा अटकलबाजीपूर्ण, गैर-सत्यापित और सत्यापित न होने लायक सूचनाओं को पुराने आरोपों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रामाणिक माना जा रहा है, जिन्हें पूर्णत: नकारा जा चुका है।

महोदया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जुलाई, 2008 में विश्वासमत के दौरान कांग्रेस पार्टी अथवा सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति किसी भी गैर-सरकारी कार्य में संलिप्त नहीं था। यूपीए-1 सरकार को सदैव लोगों और चौदहवीं लोक सभा का विश्वास प्राप्त था। यूपीए-2 सरकार जिसका गठन पन्द्रहवीं लोक सभा में हुआ है को इस सभा और भारत की जनता का विश्वास प्राप्त है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियमानुसार, किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है और यदि आप कोई चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो आप कृपया विधिवत सूचना दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री पवन कुमार बंसल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।